मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 4 जुलाई 2022

एमसीआईआर

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	2
IV.	वित्तीय बाजार	3
V.	आरबीआई प्रकाशन	3
VI.	वित्तीय समावेशन और विकास	3
VII.	मुद्रा प्रबंधन	3
VIII.	मौद्रिक नीति	3
IX.	सरकार का बैंक	3
X.	आरबीआई बुलेटिन	4
XI.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2022 महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2022 को सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को 28 अप्रैल 2022 की अधिसूचना सं.विवि.एलआईसी.सं.S543/16.13.216/2022-23 के द्वारा शामिल किया गया है तथा इसे 2 जुलाई – 8 जुलाई 2022 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट

वर्तमान में, बैंकों को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव हेतु निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आकलन के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफ़सीएनआर(बी)] और अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा देयताओं को शामिल करना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 को सूचित किया कि 30 जुलाई 2022 से शुरू होनेवाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से बैंकों द्वारा जुटाई गई 01 जुलाई 2022 की आधार तारीख के संदर्भ में वृद्धिशील एफ़सीएनआर(बी) जमाराशि के साथ-साथ एनआरई मीयादी जमा को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त

8 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जुलाई 2022 को जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां 30 सितंबर 2022 तक आमंत्रित की गई हैं।

रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में किए गए जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त संबंधी सर्वेक्षण के परिणाम भी जारी किए। सर्वेक्षण में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 16 निजी क्षेत्र के बैंक और भारत में 6 विदेशी बैंक शामिल थे, जिसे जलवायु जोखिम के प्रबंधन में अग्रणी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धति, उनके द्वारा की गई तैयारियों के स्तर और प्रगति का आकलन करने के लिए किया गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक ढांचा

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर विशेषज्ञ समिति; जिसका गठन शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों की जांच करने, एक मध्यावधि रोड मैप प्रदान करने, शहरी सहकारी बैंकों के त्वरित समाधान के उपाय संबंधी सुझाव देने और इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु उपयुक्त विनियामक / पर्यवेक्षी बदलावों की सिफारिश करने के लिए किया गया था; ने यूसीबी की जमाराशियों के आकार और उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर एक चार-स्तरीय विनियामक ढांचे की सिफारिश की। रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2022 को प्रमुख सिफारिशों की एक सूची प्रस्तुत की, जिन्हें पूर्ण रूप से, आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है और जिनकी आगे फिर से जांच की जानी है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करना– एनबीएफ़सी

रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2022 को उन तीन एनबीएफसी की सूची प्रस्तुत की, जिन्होंने रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए अपने सीओआर का अभ्यर्पण कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने इन एनबीएफसी के सीओआर को निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियामक सैंडबॉक्स

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान' विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत जांच परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया था। इस कोहार्ट के अंतर्गत स्वीकार्य उत्पादों को लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाने के लिए विचार किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन

रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2022 को ऐसे सभी पीए, जो 17 मार्च 2020 तक मौजूद हैं, को रिज़र्व बैंक को 30 सितंबर 2022 तक आवेदन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया और 31 मार्च 2022 को उनकी निवल मालियत ₹15 करोड़ होनी चाहिए।। उन्हें रिज़र्व बैंक से जानकारी प्राप्त होने तक अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति होगी। ₹25 करोड़ की निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2023 की समय-सीमा बनी रहेगी।। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) ने दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के लिए 16 जुलाई 2022 को बाली, इंडोनेशिया में जी 20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह एमओयू दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहन बनाएगा और भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवोन्मेष और धन शोधन निवारण तथा आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क सहित केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को दृढ़ करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2022 को एडी श्रेणी-I बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा अल्पकालिक निवेश में छूट के संबंध में निदेश जारी किए। जारी निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

श्रीलंका को अल्पावधि ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पचपन मिलियन यूएसडी मात्र) की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एसटीएलओसी) उपलब्ध कराने हेतु डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के साथ 10 जून 2022 को करार किया। रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए निदेश जारी किए कि वे अपने निर्यातक घटकों को एसटीएलओसी का पूरा ब्योरा एक्ज़िम बैंक से प्राप्त करने हेतु सूचित करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एशियाई समाशोधन संघ – भारत-श्रीलंका व्यापार

रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2022 को यह उल्लेख करते हुए निदेश जारी किया कि श्रीलंका के साथ किए जा रहे व्यापारिक लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेनों का निपटान एसीयू प्रणाली के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान

रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई 2022 को निर्यात/ आयात के इन्वाइस बनाने, भुगतान और निपटान भारतीय रुपये में करने की एक व्यवस्था लागू करने के निदेश जारी किए तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रुपये में किए जाने वाले सीमापारीय व्यापारिक लेन-देन से संबंधित व्यापक ढांचा जारी किया। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा प्रवाह का उदारीकरण

रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की स्थिति की बारीकी से और निरंतर निगरानी कर रहा है और बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉलर की मजबूती को कम करने के लिए अपने सभी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कदम उठा रहा है। विदेशी मुद्रा वित्त पोषण के स्रोतों में और विविधता लाने तथा विस्तार करने के लिए ताकि अस्थिरता और वैश्विक प्रभाव विस्तार को कम किया जा सके, समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विदेशी मुद्रा अंतर्वाह बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2022 को संशोधित उपाय जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 4 जुलाई 2022 को बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीबीएस) पर अपने सर्वेक्षण के 2021-22 दौर की शुरुआत की। 2021-22 के दौर के लिए सर्वेक्षण अनुसूची को बैंकों द्वारा विदेशों में संचालित भारतीय बैंकों की शाखाओं / सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों और भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं / सहायक कंपनियों के लिए भरना आवश्यक है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी

रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2022 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए निदेश जारी किए, जिसके द्वारा उन्हें 08 जुलाई 2022 से 31 अक्तूबर 2022 (दोनों तिथि शामिल) के बीच समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी से जुटाई गई निधि का उपयोग, भारत में संघटकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने हेतु सूचित किया गया। इस तरह के उधार बाहरी वाणिज्यिक उधार पर लागू होने वाले अंतिम-उपयोग निर्धारण के अधीन होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाजार

अनिवासियों द्वारा निवेश

यूनियन बजट 2020-21 में की गई घोषणा कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियाँ जो कि घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं, बिना किसी प्रतिबंधों के अनिवासी निवेशकों के लिए खोली जाएंगी, इसके अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्ण पहुंचनीय मार्ग (एफ़एआर) की शुरुआत की। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIID की धारा 45W के अंतर्गत, दो प्रतिभूतियों और 7 वर्ष व 14 वर्ष अवधि की सभी नई जारी होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को एफ़एआर के अंतर्गत 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ' के रूप में नामित करने के लिए निदेश जारी किए। ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एफ़एक्स वैश्विक संहिता के प्रति प्रतिबद्धता वक्तव्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जुलाई 2022 को एफएक्स वैश्विक संहिता ("संहिता") के प्रति अपने नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य (एसओसी) पर हस्ताक्षर किया। यह संहिता अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), बासेल के तत्वावधान में विकसित, केंद्रीय बैंकों और बाजार सहभागियों द्वारा तैयार सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं का संकलन है। यह संहिता थोक एफएक्स बाजार सहभागियों पर लागू होती है, जिसमें विक्रय-पक्ष, क्रय-पक्ष और वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं, और यह स्वैच्छिक प्रकृति की है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. आरबीआई प्रकाशन

आरबीआई वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 के महीने में अपनी वर्किंग पेपर शृंखला के अंतर्गत दो प्रकाशन प्रकाशित किए।

i) सौरभ शर्मा, इप्सिता पाधी और देब प्रसाद रथ द्वारा लिखित पहला वर्किंग पेपर, 'आत्म निर्भर भारत की ओर: संबद्धताओं और क्षरण (लिंकेज और लीकेज) की जांच' है। यह पेपर क्षेत्रीय गुणजों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निविष्टि-उत्पाद विश्लेषण का उपयोग करता है। यह पेपर निर्यात को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों के साथ उन क्षेत्रों की भी पहचान करता है जहां आपूर्ति श्रृंखला आघात सहनीयता हेतु घरेलू क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

ii) दूसरा वर्किंग पेपर 'बैंकों के ऋण और निवेश की गतिकी: पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन और क्राउडिंग-आउट की जांच' शीर्षक से संजय सिंह, गरिमा वाही और मुनीश कपूर ने लिखा है। यह पेपर ऋण संवृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में भारतीय बैंकों के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गतिकी का विश्लेषण करता है। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कमजोर आर्थिक स्थिति और तनावग्रस्त परिसंपत्ति गुणवत्ता, बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो एक पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन चैनल की उपस्थिति का सुझाव देती है। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन और विकास

अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2022 के राजपत्र अधिसूचना सं.472-497 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2022 को बैंकों द्वारा बीएसआर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से आवंटित जिला कार्य कोड के साथ नए जिलों के अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया, यहाँ क्लिक करें।

मास्टर परिपत्र-दीनदयाल अंत्योदय योजना

रिज़र्व बैंक ने 20 जुलाई 2022 को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया, जिसमें इस विषय पर अब तक जारी किए गए सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है और इस विषय पर पहले जारी किए गए मास्टर परिपत्र को प्रतिस्थापित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. मुद्रा प्रबंधन

नोट सॉर्टिंग मशीन

नई शृंखला के नोटों की शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में, नोट प्रमाणीकरण और नोट सॉर्टिंग मशीनों के लिए फिटनेस सॉर्टिंग के मापदंडों की समीक्षा की गई। रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन के लिए सॉर्टिंग मापदंडों के लिए दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठक-पुनर्निर्धारण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई(4) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2022 को घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 2-4 अगस्त 2022 से पुनर्निर्धारित कर 3-5 अगस्त 2022 कर दी गई है।

IX. सरकार का बैंक

राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

राज्य वित्त सचिवों (एसएफ़एस) का 32 वां सम्मेलन 7 जुलाई 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों तथा 24 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के वित्त सचिवों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया, यहाँ क्लिक करें।

X. आरबीआई बुलेटिन

आरबीआई बुलेटिन– जुलाई 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 जुलाई 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का जुलाई 2022 का अंक जारी किया। बुलेटिन में आठ भाषण, छह आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

छः आलेख निम्नानुसार हैं-

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

मंदी और युद्ध की आशंकाओं से घिरे वैश्विक परिदृश्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता दर्शा रही है। हाल में मानसून की बहाली, विनिर्माण और सेवाओं में तेजी, मुद्रास्फीति दबाव में स्थिरता और पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों के रूप में मजबूत सुरक्षित भंडार, पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक, और अच्छी तरह पूंजीकृत वित्तीय प्रणाली ने एकसाथ मिलकर संभावना को उज्ज्वल किया है तथा मध्यावधि में एक टिकाऊ उच्च संवृद्धि पथ के लिए स्थितियाँ मजबूत की हैं।

II. मौद्रिक नीति: आपूर्ति-चालित मुद्रास्फीति का सामना

यह आलेख दर्शाता है कि मौद्रिक नीति प्रत्युत्तर, ए) आघात की प्रकृति; बी) समग्र मांग की स्थिति; सी) मौद्रिक नीति विश्वसनीयता; और डी) आघात के प्रति अर्थव्यवस्था में अन्य एजेंटों की प्रतिक्रिया, से निरुपित होता है।

मुख्य बिन्दु:

ए) जब आपूर्ति आघात अल्पकालिक होता है, तो मुद्रास्फीति किसी भी मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता के बिना संतुलन में लौट जाती है और यह इसके प्रारंभिक प्रभाव को अनदेखा कर सकती है क्योंकि यह इसके दायरे और कार्यक्षेत्र के बाहर होता है।

बी) जब अर्थव्यवस्था संकुचन के दौर से गुजर रही है, तो आपूर्ति आघात मौद्रिक नीति संतुलन (ट्रेड-ऑफ) को खराब कर सकता है, क्योंकि यह आपूर्ति आघात के मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव के प्रत्युत्तर में मांग की कमजोर स्थिति को और कमजोर कर सकता है।

सी) प्रतिकूल आपूर्ति आघात के दौरान, प्रारंभ में ही मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के भरपूर प्रयोग द्वारा, मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाकर विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया जाता है।

III. नीति के लिए सुदूर संवेदी एप्लिकेशन: कृषि पण्यों के आगमन का आकलन

निकट भविष्य में मुद्रास्फीति के रुझान का आकलन करने के लिए फसल उत्पादन के समय पर उपलब्ध और विश्वसनीय संकेतक महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य बिंदु:

ए) वनस्पति संकेतकों की अंतर-गतिशीलता से वनस्पति के मजबूत प्रभाव का पता चलता है, जो फसली मौसम की प्रगति को मजबूत करता है।

बी) भू-स्थानिक मॉडलिंग, मंडियों में वनस्पति संवृद्धि के मानदंड अनुमानों में स्थानिक विविधता की उपस्थिति को दर्शाता है।

सी) उच्च-आवृत्ति पर कणात्मक काल-स्थानिक (ग्रेन्यूलर स्पेशियो-टेम्पोरल) सुदूर संवेदी आंकड़ों की उपलब्धता, पारंपरिक डेटासेट से अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है

IV. फेड टेपर और भारतीय वित्तीय बाजार: इस बार अलग है

वृहद् आस्ति क्रय कार्यक्रमों के टेपर में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजार के चरों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। इस आलेख में भारतीय वित्तीय बाजारों पर फेड की दो टेपर घोषणाओं (22 मई 2013 और 3 नवंबर 2021) के प्रभाव की तुलना की गई है।

मुख्य बिंदु:

ए) इवेंट के अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि 2021 टेपर (टेपर 2) की घोषणा 2013 के टेपर टैंट्रम (टेपर 1) की तुलना में कम गंभीर था।

बी) अनुभवजन्य विश्लेषण से वित्तीय बाजार की अस्थिरता पर टेपर 2 घोषणा के मंद प्रभाव का पता चलता है।

V. कोविड-19 की प्रतिकूलताएं और भारत का आवक विप्रेषण

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का आवक विप्रेषण चालू खाते की प्राप्तियों का एक सुदृढ़ स्रोत सिद्ध हुआ है। इस आलेख में देशों में विप्रेषण प्रवाह की सुदृढ़ता को निर्धारित करने वाले कारकों की पहचान की गयी है।

मुख्य बिंदु:

ए) अंतर-देशीय विप्रेषण अंतर्वाहों को परोपकार से प्रेरित पाया गया है, जो गंतव्य देश में संक्रमण दर और स्रोत देशों में लॉकडाउन की कठोरता द्वारा व्यक्त है।

बी) 2020-21 के लिए पांचवें दौर के विप्रेषण सर्वेक्षण में पाया गया है कि कुल विप्रेषण में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

सी) छोटे आकार के लेनदेन के अनुपात में वृद्धि हुई।

डी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

VI. भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों का इलेक्ट्रॉनिकीकरण

इस आलेख में भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों में हाल के परिवर्तनों को दर्ज किया गया है।

मुख्य बिंदु:

ए) विदेशी मुद्रा व्यापार (ट्रेडिंग) के इलेक्ट्रॉनिकीकरण को ट्रेडिंग माध्यमों के नए रूपों के उद्भव द्वारा चित्रित किया गया है।

बी) इन घटनाक्रमों ने बढ़ते बाजार विभाजन के साथ बाजार संरचना को बदल दिया है।

सी) हाल के वर्षों में, भारतीय मुद्रा बाजार में एकल-बैंक प्लेटफॉर्म का प्रयोग भी अधिकाधिक देखने में आ रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

XI. जारी आंकड़े

जुलाई 2022 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र सं	शीर्षक
1.	सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: मई 2022
2.	ईसीबी/एफ़सीसीबी/आरडीबी: मई 2022
3.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश: जून 2022
4.	एससीबी का उधार और जमा दर: जुलाई 2022
5.	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन: जून 2022
6.	मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।